राजस्व वाद 109/2019
जीसीएमएस नंबर 2019/00188
रामनिवास बनाम् श्रीरामाराम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 109/2019

वादीगण–

1. रामनिवास पुत्र प्रभुराम जाति–जाट, निवासी आंवलियासर, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. श्रीरामाराम पुत्र प्रभूराम
2. हेमाराम पुत्र प्रभूराम
3. मूलाराम पुत्र प्रभूराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–आंवलियासर, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोवन्दिराम ढाका वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 14/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा आंवलियासर तहसील जायल में खेत खसरा नंबर 4/173 रकबा 60.10 बीघा, खसरा नंबर 59/186 रकबा 21.08 बीघा कुल खेताय 2 कुल रकबा 81.18 बीघा रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर सम्वत् 2056 में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ख) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 59/186 रकबा 21.08 बीघा पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 4/173 रकबा 60.10 बीघा रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 सें 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनारायण चौधरी ने दिनांक 12.02.2020 को

14/05/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

वकालत नामा पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। पत्रावली दिनांक 04.08.2020 से 02.03.2021 तक पेशी रिकार्ड पर आती रही लेकिन वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया जिसके संबंध में पर्याप्त अवसर भी दिये गये। जिस पर वकील वादी ने आपति जाहिर की बावजूद इसके पुनः वकील प्रतिवादी को न्यायहित में एक अंतिम अवसर तथा दिनांक 01.04.2021 को 50 रू के ऑन कास्ट पर भी न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली अग्रिम पेशी हेतु नियत की गई। दिनांक 22.06.2021 को पत्रावली प्रस्तुत हुई वकील वादी ने पत्रावली की आवश्यक सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रतिवादी को नकल दिलवाई जाकर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने आवश्यक सुनवाई हेतु निवेदन किया किया वादी सहखातेदार होते हुए भी वादी का खेत बिना जुताई के पड़ा है। प्रतिवादीगण बंटवाड़ा नहीं करवाना चाहते हैं और वकील प्रतिवादी जानबुझकर विलम्ब करवाना चाहते हैं। इसलिये ऑन कास्ट 50 रू के अंतिम अवसर दिये जा चुके है अतः अब पत्रावली में जल्द सुनवाई करे अन्यथा मौके पर लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है।

वकील प्रतिवादी ने जवाब नहीं देकर सीधी बहस करते हुवे निवेदन किया कि पत्रावली जबाब दावा में चल रही है तथा ऑन कास्ट अंतिम अवसर दिनांक 05.07.2021 तक दिया है। लॉकडाउन होने के कारण प्रतिवादीगण आ नहीं पाए। अब उनको नियत पेशी दिनांक बता रखा गया है। उस दिन जबाब दे दिया जायेगा। जबाव हेतु आवश्यक सुनवाई का औचित्य नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पूर्व में ही जबाब हेतु नियत है। ऑन कास्ट अंतिम अवसर दिया हुआ है। अतः इस स्टेज पर आवश्यक सुनवाई का औचित्य नहीं बनता है। वकुलाय प्रतिवादीगण को ऑन कास्ट 50 रू के अंतिम अवसर हिदायत दी गई। आगामी पेशी दिनांक 05.07.2021 को जबाब दावा प्रस्तुत करे अन्यथा अदम तकमील में जबाब अवसर बंद कर दिया जावेगा। प्रार्थना पत्र आवश्यक सुनवाई तदनुसार निस्तारित होकर पत्रावली सलग्न हों। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वकील ने पैरवी नहीं करने का जिक किया इसलिये प्रतिवादीगणों को इत्तला सम्मन जारी किया गया। इत्तला सम्मन तामिल होकर प्राप्त हुवे, जो गैर हाजिर रहे । उनकी ओर से कोई पक्षकार नहीं आये, आवाजे लगाई गई परन्तु कोई पक्षकार अथवा अधिवक्ता पक्षकार हाजिर नहीं आये अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र रामनिवास पुत्र प्रभूराम जाट, तिलोकराम पुत्र जस्साराम जाट के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम आंवलियासर तहसील–जायल सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 210 प्रदर्श–1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुक है तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार है।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल

इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक वर्णित पैराज स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का बंटवाड़ा रखा गया है तथा गैर हाजिर रहने से पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही भी अमल में लाई जा चुकी है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का वादपत्र में वर्णित पैराज बंटवाडा स्कीम अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

प्रकरण हाजा में मौजा आंवलियासर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 59/186 की भूमि को यथावत वादी के एवं शेष मुतदाविया खेताय खसरा नंबर 4/173 माफिक वाद पत्र प्रतिवादीगण के सहखातेदारी में रखा जाकर बंट चाहा है अतः पक्षकारान् के द्वारा वादग्रस्त खसरों विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 08.10.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 08.10.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2776 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी श्रीरामाराम एवं मुलाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा वादी रामनिवास बाहर घूमने हेतु जाने से जरिये दुरभाष पर वार्ता की गई एवं प्रतिवादी हेमाराम मौके पर उपस्थित नहीं पाये गये। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान विष्णु एवं परमा तथा भू.अभि.निरीक्षक कमेड़िया एव नायब तहसीलदार डेह की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा आंवलियासर तहसील जायल के खेत खसरा नं. 59/186, 4/173 का विभाजन सहखातेदार के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलेक्टर
(उप.डी.ओ.) जायल

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा आंवलियासर तहसील जायल के खेत खसरा नं. 59/186, 4/173 का विभाजन सहखातेदार के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 59/186 रकबा 21.08 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कमश श्रीरामाराम, हेमाराम, मूलाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 4/173 रकबा 60.10 बीघा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(खीमेन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 109/2019
जीसीएमएस नंबर 2019/00188
रामनिवास बनाम् श्रीरामाराम

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 109/2019

वादीगण–

1. रामनिवास पुत्र प्रभुराम, जाति–जाट, निवासी आंवलियासर, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

तिवादीगण –

1. श्रीरामाराम पुत्र प्रभूराम
2. हेमाराम पुत्र प्रभूराम
3. मूलाराम पुत्र प्रभूराम, जातियान–जाट, निवासीगण–आंवलियासर, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोवन्दिराम ढाका वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा आंवलियासर तहसील जायल के खेत खसरा नं. 59/186, 4/173 का विभाजन सहखातेदार के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 59/186 रकबा 21.08 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कमश श्रीरामाराम, हेमाराम, मूलाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 4/173 रकबा 60.10 बीघा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)